2025/486

निर्णय
02.01.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

संदीप कुमार बनाम कृष्णलाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 646 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.12.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.12.2025 को पेश हो।	संदीप
26.12.25	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 10 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक दाखिल फाईल किया गया। प्रतिवादी वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 29.12.2025 को पेश हो।	कृष्णलाल अभिलाष नानाराम
29.12.2025	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। प्रतिवादी का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पर उपलब्ध रिकार्ड आदि व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। [illegible] सहित निर्णय अलग से [illegible] दाखिल फाईल किया जावे। प्रतिवादी [illegible] से कम की जाकर बाद तस्दीक तकमील जावे। दाखिल दफ्तर हो।	2.1.2026 अभिलाष अभिलाष अभिलाष कृष्णा विकास

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.01.30 16:16:52 IST
Reason: SelfAttested